राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1717/2023

संतोष **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मुख्य कार्यालय अम्बेडकर सर्किल, जयपुर (राज.)।
3. वाणिज्य कर अधिकारी, सर्किल–एफ, डिवीजन–प्रथम, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.07.2023

आदेश की दिनांक : 26.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री चन्द्रभान सिंह शेखावत, ओआईसी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 23.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 5400 दिनांक 31.07.1993 से पूर्व की सेवा की देने हेतु विचार किया जावे तथा समस्त मय शेष राशि सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी के वेतनमानों का पुनर्निधारित किया गया। चूंकि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत थी और अपीलार्थी का चयन सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन हुआ, जिसकी ग्रेड पे 3600 थी और अपीलार्थी चयनोपरांत परिवीक्षा काल में ग्रेड पे 3600 के बजाय पूर्व पद का वेतन ग्रेड पे 4200 का भुगतान किया गया। अपीलार्थी को न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही कोई अवसर प्रदान किया गया। उनका कथन है कि नियम 2008 के नियम 22 के प्रावधानानुसार परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी नियमानुसार उक्त नियमों के अनुरूप वेतन पाने का अधिकारी है। चूंकि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर था और उसे एसीपी का लाभ दिया गया और जब अपीलार्थी ने नवीन पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनोपरांत कार्यग्रहण किया तब हुआ है, पूर्व के पद पर ग्रेड पे 4200 प्राप्त कर रहा था और इस प्रकार अपीलार्थी को परिवीक्षा काल के दौरान पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुये ग्रेड पे 4200 में वेतन भुगतान होता रहा, परंतु प्रत्यर्थी विभाग के पूर्व के आदेश दिनांक 22.03.2023 तथा आदेश दिनांक 23.06.2023 के द्वारा राशि रूपये 1,99,563/– की वसूली के आदेश जारी किये गये, जिसके संबंध में अपीलार्थी को न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही कोई अवसर दिया गया और यह वसूली जुलाई, 2013 से जो 10 वर्ष पश्चात् की गई है। अपीलार्थी द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया और न ही कोई अपीलार्थी का दोष है और इस प्रकार अपीलार्थी से ऐसे वसूली नहीं की जा सकती। अपीलार्थी ने पंचायती राज विभाग की अनुमति प्राप्त पश्चात् सीधी भर्ती परीक्षा में भाग लिया है और तदुपरांत कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 07.02.2012 के द्वारा चयन हुआ है। उक्त पद पर चयनोपरांत अपीलार्थी ने पंचायती राज विभाग में कार्मिक के लिये अनुरोध किया, जिस पर विचार करते हुये अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद से आदेश दिनांक 13.02.2012 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 13.02.2012 को ही कार्यग्रहण किया और इस प्रकार बिना सेवा विराम किये अपीलार्थी कार्य करती रही तथा अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भी वाणिज्य कर विभाग को भेजा गया। उनका कथन है कि वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 05.07.2013 जिसमें यह

स्पष्ट है कि नियम, 2008 के क्रम में वेतन निर्धारण यदि अध्यापक ग्रेड पे 3600 प्राप्त कर रहा था तो उसका वेतन निर्धारण करते हुये चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 4200 दिया जायेगा और इस प्रकार अपीलार्थी को ग्रेड पे 4200 का लाभ दिया गया, परंतु अपीलार्थी का चयन कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा हुआ, जिसकी ग्रेड पे 3600 थी। अपीलार्थी उक्त पद पर चयन से पूर्व ग्रेड पे 4200 का लाभ प्राप्त कर रहा था और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त पद पर चयन होने के उपरांत परिवीक्षा काल में पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुये ग्रेड पे 4200 में भुगतान किया जाता रहा। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 23.06.2023 के द्वारा राशि रूपये 1,99,563/– की वसूली के आदेश जारी किये गये हैं, जो सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2023 एवं 23.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 5400 दिनांक 31.07.1993 से पूर्व की सेवा की देने हेतु विचार किया जावे तथा समस्त मय शेष राशि सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी सर्कल एफ एसीटीओ द्वितीय के रूप में तैनात है और सर्कल से अपना वेतन प्राप्त कर रही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के आदेश की पालना में आक्षेपित आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी को केवल परिवीक्षा अवधि के दौरान उसके वेतन की अनुमति दी गई थी और उसके बाद उसका वेतन नयी सेवा के ग्रेड पे के अनुसार तय किया गया था। रचना चौधरी से संबंधित मामला वर्तमान मामले से संबंधित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ने जानबूझकर पिछले विभाग की सेवा छोड दी है और नये विभाग में शामिल हो गई है। अपीलार्थी ने स्वयं आक्षेपित आदेश जारी करने का अनुरोध किया क्योंकि सीटीडी एवं एफ डी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जेसीटीओ के पद पर उसका वेतन तय करने से पहले एसीपी एवं पदोन्नति के बाद उसका नया निर्धारण संभव नहीं था। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी के वेतनमानों का पुनर्निधारित किया गया। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत थी और अपीलार्थी का चयन सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन हुआ, जिसकी ग्रेड पे 3600 थी और अपीलार्थी को चयनोपरांत परिवीक्षा काल में ग्रेड पे 3600 के बजाय पूर्व पद का वेतन ग्रेड पे 4200 का भुगतान किया गया। जहां तक अपीलार्थी से आलोच्य आदेश दिनांक 23.06.2023 के द्वारा राशि रूपये 1,99,563/– वसूल किये जाने का प्रश्न है, सेवा पुस्तिका अनुलग्नक–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पूर्व में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुई और नियमानुसार उसे एसीपी का लाभ देते हुये ग्रेड पे 4200 के पद पर कार्यरत थी और अपीलार्थी ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010 में आवेदन कर आरपीएससी द्वारा अपीलार्थी का कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन हुआ, जिसकी ग्रेड पे 3600 थी और अपीलार्थी को परिवीक्षा काल के दौरान पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुये ग्रेड पे 4200 में वेतन भुगतान किया गया। तदुपरांत परिवीक्षा काल पूर्ण पश्चात् वित्तीय सलाहकार पत्र दिनांक 15.09.2021 के क्रम में अपीलार्थी को कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी का दिनांक 01.07.2013 को तृतीय श्रेणीय अध्यापक की द्वितीय ग्रेड पे 4800 में संशोधित वेतन निर्धारण किया गया। परंतु आदेश दिनांक 22.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन आदेश टिप्पणी दिनांक 20.07.2021 के अनुसरण में दिनांक 13.02.2014 से वेतन निर्धारण करते हुये आगामी वेतन वृद्धियां संशोधित कर दी गईं और आलोच्य आदेश दिनांक 23.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध राशि रूपये 1,99,563/– की वसूली किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया। जबकि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 22 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *"22. Fixation of pay in the running pay band of a probationer-trainee completing probation period successfully on or after 1-9-2006. A probationer trainee on successful completion of probation period will be allowed pay in the running pay band and grade pay, as indicated in Schedule - V appended to these rules.*
>
> *Provided that a Government servant who is already in regular service of the State Government, if appointed on another post as a probationer-trainee and has opted to draw pay in the pay scale*

of the previous post, on successful completion of probation period his pay will be fixed in the running pay band of the new post at the equal stage with reference to the pay of the pervious post and grade pay."

उपरोक्त नियमानुसार हमारे मत में अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया वसूली आदेश उक्त नियमों के विरूद्ध है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 23.06.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को नियमानुसार वेतन आदि का लाभ भुगतान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य